

कार्यालय तहसीलदार व जिला देवास (म.प्र.)

क्रमांक

513

विविध

दिनांक

14/3/07

स्थानीय निवासी

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है श्री/श्रीमती/कुमारी

एवम पारिल

आत्मजा/पत्नि/आत्मजा श्री

शान देव पारिल

ग्राम

देवास

तहसील

देवास

जिला

देवास

म.प्र. का/की निवासी है क्योंकि वह -

1. म.प्र. में पैदा हुआ/हुई है, अथवा
2. वह/पालक/वैध अभिभावक म.प्र. में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है अथवा
3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केंद्रीय शासन का कर्मचारी जो म.प्र. में सेवारत है अथवा सेना सेवा का अधिकारी/कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिक हो, अथवा
4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय करते हों।
5. म.प्र. में सवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो, अथवा

इसके अतिरिक्त

1. उसने म.प्र. में किसी भी शिक्षण संस्थान में तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक शिक्षा की हो, अथवा
2. म.प्र. के स्थानीय निवासी के बच्चों द्वारा यदि म.प्र. के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की हो तो छूट प्राप्त होगी बशर्ते वह निर्धारित उक्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति करता हो, अथवा आवेदक अंधा, मुक बधिक है और उसने अन्य प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की हो, अथवा
3. उसने म.प्र. में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा

(ख) हाई स्कूल परीक्षा

(ग) आठवीं कक्षा की परीक्षा

(घ) चौथी/पांचवी कक्षा की परीक्षा

प्राधिकृत अधिकारी
पदनाम एवं पदमुद्रा

रायच तहसीलदार
(म.प्र.)